न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : पु० निग. घासीलाल बनाम डॉ० चतुर्भुज
नि. 07/2016

कार्यवाही /आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10-1-18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 31-1-18 को पेश हो। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	
31-1-18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। निगरानी प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दि० 31-3-1991 व इसके अनुसरण में जारी किया गया विक्रय विलेख दिनांक 17-06-1991 निरस्त किया जाता है। प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	
7-2-18	पत्रावली प्राप्त। निगरानीकर्ता बाबत घासीलाल के पिता की वल्दियत रामकरण की जगह डा० चतुर्भुज लिपिकीय भूल से अंकित हो जाने से, दुरुस्ती हेतु पेश हुआ। शामिल मिसल रहे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। निर्णय दिनांक 31-1-2018 में निगरानीकर्ता की वल्दियत डा० चतुर्भुज लिपिकीय भूल से अंकित हुई है। अतः उनवान में घासीलाल पुत्र डा० चतुर्भुज के बजाय घासीलाल पुत्र रामकरण दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय सुनाया गया। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	

न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

पंचायत निगरानी संख्या : 01/2016

धासीलाल पुत्र श्री डॉ0 चतुर्भज, जाति–जाट, निवासी–ग्राम माधोराजपुरा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

आज्ञा दिनांक 7-2-18 की पालना में धासीलाल पुत्र श्री डॉ चतुर्भुज की बजाय धासीलाल पुत्र श्री रामकरण पढ़ा जावे। (हस्ताक्षर) अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

निगरानीकर्ता,

बनाम

डॉ0 चतुर्भज पुत्र रामपाल धानावत, जाति–मीणा, हाल निवासी–प्लाट नं0 10/2 जगत विहार, जगतपुरा, जयपुर।

गैर–निगरानीकर्त्ता,

(पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राज0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध आज्ञा दिनांक 31.03.1991 बमिसल सं0 125/90 x 91 दायर दिनांक 21.11.1980 प्रार्थना पत्र जगदीश प्रसाद पुत्र बालू जाट, माधोराजपुरा बाबत् पड़त जमीन कब्जाशुदा को नजराने पर देने जिसकी अनुपालना में आबादी भूमि का विक्रय विलेख दि0 17.06.1991 को डॉ. चतुर्भज पुत्र श्री रामपाल निवासी–माधोराजपुरा के हक में सरपंच, ग्रा0पं0 माधोराजपुरा द्वारा जारी किया गया हैं)

उपस्थितिः–

1. श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल, अभिभाषक, निगरानीकर्ता की ओर से।
2. श्री संजय शर्मा, अभिभाषक, गैर–निगरानीकर्ता की ओर से।

निर्णय **दिनांक : 31.01.2018**

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत–माधोराजपुरा ने अपने फैसला दिनांक 31.03.1991 द्वारा भू–खण्ड सं0 "क" 166 2/3 वर्गगज का नजराना राशि 30/– रू0 प्रति वर्गगज की दर से 5000/–रू0 में जरिये निलामी विक्रय करने का निर्णय लिया हैं, जिसके अनुसरण में विक्रय विलेख दिनांक 17.06.1991 को निष्पादित किया गया हैं, से व्यथित होकर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ हैं।

उक्त आशय का निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर, नोटिस गैर–निगरानीकर्ता जारी किए गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। निगरानीकर्ता के विद्वान् अभिभाषक श्री संजय शर्मा का कथन हैं कि निगरानी अधीन आज्ञा दिनांक 31.03.1991 ग्राम पंचायत–माधोराजपुरा व इसके अनुसरण में जारी किया

गया विक्रय विलेख दिनांक 17.06.1991 विधि–विधान एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। वादग्रस्त भू–खण्ड के सम्बन्ध में जगदीश पुत्र बालूराम ने ग्राम पंचायत में गलत तथ्य प्रस्तुत कर बाला–बाला बिना नियमों की प्रक्रिया अपनाये अवैध रूप से निगरानीकर्त्ता के पूर्वजो से कब्जेशुदा बाडा/भू–खण्ड का पट्टा प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया हैं। जो निगरानीकर्त्ता के कब्जेशुदा भू–खण्ड का गैर–निगरानीकर्त्ता को पट्टा दिया गया है वह निगरानीकर्त्ता को बिना सुनवाई का नोटिस/अवसर दिये जारी किया गया हैं, अतः निगरानीकर्ता का पुराना कब्जा होने के बावजूद निगरानीकर्ता के हितो की अनदेखी कर नीलामी की गुप–चुप में कार्यवाही कर पट्टा जारी किया गया है जो अवैध होने से निरस्तनीय हैं। जगदीश पुत्र बालूराम ने ग्राम पंचायत–माधोराजपुरा में दिनांक 21.10.1980 को कब्जेशुदा भूमि में बाड़े के लिए पक्की दीवार तामीर करने हेतु पट्टे हेतु आवेदन किया हैं। इसके साथ में कोई नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 10.01.1981 को मौका देखने हेतु पंचों को नियुक्त किया गया हैं और लगभग 10 वर्ष पश्चात् दिनांक 12.06.1990 को प्रार्थी जगदीश को पंचायत द्वारा तलब करने की आज्ञा दी गई हैं जिसकी पालना में जगदीश दिनांक 21.06.1990 को उपस्थित हुआ हैं। तत्पश्चात् पंचों को मौका देखने हेतु नियुक्त किया हैं। पंचों ने दिनांक 11.09.1990 को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं उसमें भूमि को पड़त सरकारी जमीन बताया हैं परन्तु कब्जे की रिपोर्ट नही की है। आपत्ति नोटिस दिनांक 11.09.1990 को जारी किया जाना जाहिर किया हैं परन्तु वास्तव में कोई नोटिस जारी ही नहीं हुआ। आपत्ति नोटिस अवधि में जगदीश द्वारा भी किसी प्रकार की कोई प्रार्थना आदि नहीं की हैं बल्कि 2 माह पश्चात् निलामी के लिए यह कहते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं कि वह 79 x 40 की बोली लगाने में असमर्थ हैं। इस भूमि में 40 x 37 भूमि ही लेना चाहता है। जगदीश द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से स्पष्ट हैं कि इस भू–खण्ड पर जगदीश का कदापि कब्जा नहीं रहा हैं और मात्र निगरानीकर्त्ता के कब्जेशुदा भू–खण्ड को खुर्द–बुर्द करने की गरज से बाला–बाला इकतरफा कार्यवाही की गई हैं जबकि वादग्रस्त भू–खण्ड पर निगरानीकर्त्ता का पूर्वजो से अरसे–दराज से कब्जा हैं। वादग्रस्त भू–खण्ड पर निगरानीकर्त्ता का आज भी बदस्तूर कब्जा चला आ रहा हैं। ग्राम पंचायत–माधोराजपुरा द्वारा बाला–बाला की गई नीलमी कार्यवाही पर मात्र 3 व्यक्तियों के हस्ताक्षर है । वादग्रस्त भू–खण्ड

जिन दो व्यक्तियों को दिया गया है उनके हस्ताक्षर है और एक अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर है। निलामी की कार्यवाही व जारी किये गये पट्टे की जानकारी निगरानीकर्त्ता को पूर्व में नहीं थी परन्तु हाल ही में फौजदारी प्रकरण में पुलिस उपाधीक्षक द्वारा मौके की रिपोर्ट चाही जाने पर पंचों द्वारा दिनांक 07.09.2015 को मौका रिपोर्ट किये जाने पर निगरानीकर्त्ता को जाहिर हुआ कि निगरानीकर्त्ता के कब्जाशुदा भू–खण्ड का बाला–बाला गैर–निगरानीकर्त्ता ने पट्टा ले लिया हैं जबकि दिनांक 07.09.2015 को मौके पर वार्ड पंच विनोद टेलर, रामावतार शर्मा उपसरपंच, श्रीमती अनिता सैनी वार्ड पंच द्वारा किये गये मौका निरीक्षण में मौके पर विवादित स्थल पर निगरानीकर्त्ता धासी पुत्र रामकरण, जाति–जाट, निवासी–माधोराजपुरा का पूर्वजो से कब्जा होना पाया हैं व इसका उपयोग बाड़े के रूप में किया जाना अपने रिपोर्ट में जाहिर की हैं जिसमें मौके पर पशुओं को बाधने हेतु टीनशैड का निर्माण किया हुआ तथा रोड़ी ईधन की लकड़ियां तथा पत्थर डले हुए होना अंकित किया हैं। इस मौका रिपोर्ट से स्पष्ट जाहिर हैं कि वादग्रस्त स्थल पर आज भी निगरानीकर्त्ता का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा हैं और जो गैर–निगरानीकर्त्ता को निलामी की कार्यवाही कर विक्रय विलेख जारी किया गया हैं। वह मात्र काल्पनिक कागजी कार्यवाही की गई हैं। अतः यह स्पष्ट हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा सारी कार्यवाही आपसे मिलीभगत से बाला–बाला की गई है जो अवैध होने से निरस्तनीय हैं। अतः निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पंचायत की आज्ञा दिनांक 31.03.1991 व इसके अनुसरण में जारी किया गया विक्रय विलेख दिनांक 17.06.1991 बहक डॉ0 चतुर्भुज पुत्र रामपाल धानावत निरस्त फरमाया जावे।

गैर–निगरानीकर्त्ता के विद्वान् अभिभाषक श्री संजय शर्मा का कथन हैं कि ग्राम पंचायत की आज्ञा दिनांक 31.03.1991 व इसके अनुसरण में जारी किया गया विक्रय विलेख दिनांक 17.06.1991 विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप वैध रूप से जारी किया गया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा लिये गये निर्णय में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम के सभी प्रावधानों की पालना की गई हैं। वैध रूप से जारी किये गये विक्रय विलेख की अत्यधिक विलम्ब से निगरानी की गई हैं। निगरानीकर्त्ता ने बिना किसी हक व अधिकार के निगरानी पेश की हैं जबकि निगरानीकर्त्ता का निगरानी अधीन पट्टेशुदा भूमि से कोई संबध सरोकार नहीं हैं। मौके पर वादग्रस्त भूमि पर निगरानीकर्त्ता का अतिक्रमण रहा हैं परन्तु निलामी से पूर्व इस अतिक्रमण को

ग्राम पंचायत द्वारा हटाने का निर्णय लिया हैं। निगरानीकर्त्ता के भाई धन्ना ने इसी भू–खण्ड के संबध में पंचायत समिति में अपील की हैं जो दिनांक 27.02.1992 को पंचायत समिति–फागी के निर्णय द्वारा खारिज की गई हैं। वादग्रस्त भू–खण्ड हेतु नियमानुसार आवेदन किया गया हैं। पंचों के द्वारा मौका देखा गया हैं। आपत्ति नोटिस जारी किया गया हैं कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मत से निलामी का निर्णय लिया गया हैं। निलामी का नोटिस जारी किया गया हैं और खुले रूप से निलामी की कार्यवाही की जाकर वैध रूप से भू–खण्ड बैचान किया गया हैं। निगरानीकर्त्ता को निलामी की समस्त कार्यवाही की जानकारी रही हैं परन्तु अब एक लम्बे अरसे–दराज के बाद बिना किसी अधिकार के निगरानी प्रस्तुत की हैं। वादग्रस्त भू–खण्ड के संबध में निगरानीकर्त्ता द्वारा सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रखा हैं जहां से अधिकारो की धोषणा होगी। ऐसी स्थिति में निगरानी सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता हैं कि वादग्रस्त भू–खण्ड हेतु जगदीश पुत्र बालूराम जाति –जाट ने दिनांक 21.10.1980 को यह कथन करते हुए आवेदन किया हैं कि उसकी कब्जेशुदा भूमि में बाड़े के लिए चारदीवारी बनाने के लिए पट्टा दिया जावे। इस प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत होने पर दिनांक 10.01.1981 को पंचायत द्वारा मौका रिपोर्ट हेतु पंचों को नियुक्त किया हैं परन्तु लगभग 10 वर्ष तक कोई कार्यवाही न कर दिनांक 12.06.1990 को सीधे ही प्रार्थी जगदीश को नोटिस जारी किया गया हैं और दिनांक 11.09.1990 को पंचों ने मौका देखकर वादग्रस्त भूमि को पड़त जमीन सरकारी होना जाहिर किया हैं। प्रार्थी जगदीश ने दिनांक 21.11.1990 को पंचायत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि वह 79 x 40 के लिए आवेदन किया था परन्तु वह सम्पूर्ण भूमि की बोली लगाने में असमर्थ हैं। इसलिए 40 x 37 भूमि के दो हिस्से कर बोली लगाने की आज्ञा दी जावे। जगदीश के प्रार्थना पत्र व पंचों की रिपोर्ट दिनांक 11.09.1990 से यह तो स्पष्ट हैं कि वादग्रस्त भूमि पर गैर–निगरानीकर्त्ता का कभी कब्जा नहीं रहा हैं। गैर–निगरानीकर्त्ता के विद्वान् अभिभाषक द्वारा वरवक्त बहस कथन किया हैं कि वादग्रस्त भमि के संबध में पूर्व में अपील की गई थी जो खारिज की जा चुकी हैं। पंचायत समिति–फागी के निर्णय दिनांक 27.02.1992 के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि

पंचायत समिति–फागी ने अपने निर्णय में स्पष्ट अंकित किया हैं कि पंचायत द्वारा 125/90 x 91 के द्वारा बेची गई भूमि बिल्कुल पृथक हैं। इस भूखण्ड से अपीलान्ट् धन्ना पुत्र रामकरण का किसी प्रकार से कोई संबध नहीं हैं। विचारण प्रकरण में धन्ना द्वारा निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई हैं और यह तथ्य पंचायत समिति के निर्णय में स्पष्ट अंकित हैं कि धन्ना द्वारा पंचायत समिति में की गई अपील से पत्रावली सं0 125/90 x 91 में अंकित बेची गई भूमि बिल्कुल पृथक हैं। अपीलान्ट् धन्ना का इस भूमि से कोई संबध सरोकार नहीं हैं। अतः गैर–निगरानीकर्त्ता के विद्वान् अभिभाषक का यह कथन कि पंचायत समिति–फागी से पूर्व में अपील खारिज की जा चुकी हैं, सारहीन पाते हैं। अलबत्ता निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत–माधोराजपुरा के पंचों द्वारा की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 07.09.2015 से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भू–खण्ड पर निगरानीकर्त्ता का कब्जा रहा हैं, जिसमें पंचों ने रिपोर्ट की हैं कि विवादित स्थल पर धासी पुत्र रामकरण, जाति–जाट, निवासी–माधोराजपुरा का पूर्वजो से कब्जा चला आ रहा हैं तथा इसका उपयोग/उपभोग करते आ रहे हैं। मौके पर श्री धासी पुत्र रामकरण जाट, निवासी–माधोराजपुरा द्वारा इसका उपयोग बाडे के रूप में किया जा रहा हैं। अपने पशुओं को बाधने वास्ते टीनशैड का निर्माण किया हुआ हैं तथा रोडी, ईधन की लकडिया तथा पत्थर डालकर इसका उपयोग करते आ रहे हैं। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हैं कि वादग्रस्त भूमि पर निगरानीकर्त्ता का कब्जा रहा हैं और उसे नियमानुसार बिना बेदखल किये अथवा सुनवाई साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही भूमि विक्रय का निर्णय लिया जाकर विक्रय विलेख जारी किया गया हैं जो अवैध होने से निरस्तनीय हैं। निगरानी के लिए नियमों में समय–सीमा बाधित नहीं हैं। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 31.03.1991 व इसके अनुसरण में जारी किया गया विक्रय विलेख दिनांक 17.06.1991 निरस्त किया जाता हैं और प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ ग्राम पंचायत–माधोराजपुरा को रिमाण्ड किया जाता हैं कि कब्जे की जांच कर उभय–पक्षों को सुनवाई साक्ष्य का पुनः नोटिस/समुचित अवसर दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर न्याय–संगत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय)

31/1/18

(सुनील भाटी)

अति. कलक्टर (द्वितीय)

जयपुर